...की ...सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 138/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

28.08.2021

भूदाता देवव्रत, पिता–धनुक वर्मा, ग्राम–हाजीपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
316	–	02 कठा	उत्तर–ठाकुर दक्षिण–द्वारिका वर्मा पूरब– महंगु गोप पश्चिम–खिरोधर

मौजा– हाजीपुर, थाना नं०–53, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि के संबंध में से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी के माध्यम से नोटिस तामिला प्रतिवेदन समुदायिक भवन पर चिपकाया गया एवं पत्रांक 456 दिनांक 12.08.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा कोई आपति दाखिल किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। सिताराम वर्मा गवाह का नाम अंकित है। भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिनांक 07.03.1954 को प्रस्तावित भूमि दान में दी गई है। अंचल अधिकारी करपी ने पत्रांक 456 दिनांक 12.08.2021 द्वारा दाखिल जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि दान पत्र में खाता संख्या 316 दर्ज है, खेसरा दर्ज नहीं है, जवकि हाजीपुर में उच्चतम खाता 108 ही है।

अंचल अधिकारी करपी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि मौजा–हाजीपुर में उच्चतम खाता 108 ही है, जवकि भूदाता द्वारा भूदान दान पत्र के माध्यम से खाता संख्या 316 में 02 कठा भूमि दान दी गई है।

अतः अंचल अधिकारी करपी द्वारा जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदाता द्वारा भूदान –दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 28.08.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 28.08.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।